

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)  
पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 5/2020 (2020/00005) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. शान्तिलाल पिता देवीलाल स्वर्णकार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा हाल निवासी सर्राफा बाजार, भीलवाड़ा ।

प्रार्थी

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पिता देवीलाल स्वर्णकार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बाबुलाल पिता देवीलाल स्वर्णकार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जगदीश पिता लालुराम सोनी निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा हाल नागराज आर्ट ज्वेलरी, सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स के सामने वाली गली, नया रोड़ नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर ।

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित

1. सुनिल बाफना —

अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 05.03.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3332/1110 रकबा 0.14 हैक्ट., आराजी संख्या 3336/1113 रकबा 0.13 हैक्ट. आराजी संख्या 3337/1118 रकबा 0.06 हैक्ट., आराजी संख्या 3339/1119 रकबा 0.05 हैक्ट., आराजी संख्या 3339/1120 रकबा 0.42 हैक्ट., आराजी संख्या 3341/1123 रकबा 0.04 हैक्ट., आराजी संख्या 3343/1124 रकबा 0.02 हैक्ट., आराजी संख्या 3345/1158 रकबा 0.11 हैक्ट., कुल किता 08 कुल रकबा 0.97 हैक्ट. भूमि खाता 66 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में जमाबंदी संवत् 2070 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने की वजह से पक्षकारान दरमीयान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद पैदा होते रहते हैं प्रार्थीगण को घास काटने में फसल कास्त करने, आराजियात को विकसित करने के समय आपस में सीमा का विवाद होता रहता है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को पत्थरगढी कराने बाबत कहा परन्तु विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे हैं। प्रार्थीगण ने दिनांक 16.11.2019 को

विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। विपक्षीगण प्रार्थी की आराजियात के पड़ौसी होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 03.01.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं से एक तरफा कार्यवाही की गई। एवं विपक्षी संख्या 2 की मृत्यु हो जाने से एवं विपक्षी संख्या 3 की तामिल नहीं होने से प्रार्थी के अधिवक्ता उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

### आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3332/1110 रकबा 0.14 हैक्ट., आराजी संख्या 3336/1113 रकबा 0.13 हैक्ट. आराजी संख्या 3337/1118 रकबा 0.06 हैक्ट., आराजी संख्या 3339/1119 रकबा 0.05 हैक्ट., आराजी संख्या 3339/1120 रकबा 0.42 हैक्ट., आराजी संख्या 3341/1123 रकबा 0.04 हैक्ट., आराजी संख्या 3343/1124 रकबा 0.02 हैक्ट., आराजी संख्या 3345/1158 रकबा 0.11 हैक्ट., कुल किता 08 कुल रकबा 0.97 हैक्ट. भूमि खाता 66 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
5.3.2020  
(सुन्दर लाल बम्बोडा)  
सहायक सहायक उपखण्ड अधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

